महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुक्रमणिका

मद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	विद्या–परिषद् की पिछली (20वीं) बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि	3
2	विद्या–परिषद् की 20वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई	4
3	विश्वविद्यालय की वर्तमान अकादमिक गतिविधियाँ एवं भावी योजनाएँ	
(i)	प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत	5
(ii)	नए विद्यापीठ एवं विभाग	5
(iii)	अकादमिक वर्ष 2014–15 से नए पाठ्यक्रमों का संचालन	5
(iv)	केंद्रीय विद्यालय	6
(v)	व्याख्यान–माला कार्यक्रम	6
(vi)	वर्धा संस्कार प्रकोष्ठ की स्थापना	6
(vii)	ई–रिसोर्सेज के अंतर्गत ई–लर्निंग मैटेरियल की वेबसाइट पर उपलब्धता	7
(viii)	विश्वविद्यालय नवाचार क्लब	7
(ix)	डॉ. अंबेडकर अध्ययन केंद्र	7
(x)	नेहरु अध्ययन केंद्र	7
(xi)	अकादमिक स्टॉफ कालेज की स्थापना	8
(xii)	सामुदायिक महाविद्यालयों की परियोजना	8
(xiii)	12वीं योजना (2012–2017) के अंतर्गत खेल–कूद के विकास हेतु उत्कृष्टता केंद्र	8
(xiv)	विद्यार्थियों/शोधार्थियों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं हेतु समितियों का गठन	9
(xv)	नैक (NAAC) द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन	10
4	प्रवेश समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन	10
5	एम.ए. में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु डिप्लोमा कोर्स के लिये शुल्क रु.100/– करना तथा डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शुल्क को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क से कम करना।	11
6	पीएच.डी. शोधार्थियों को प्रदत्त प्रोविजनल उपाधि का कार्योत्तर अनुमोदन	13
7	विदेशी शिक्षण प्रकोष्ठ को विभाग/केंद्र के रूप में मान्यता	15
8	भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त का अनुमोदन	17

9	शिक्षा-विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की पहली बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन	17
10	संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन	18
11	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त का अनुमोदन	18
12	विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के साथ अकादमिक अनुबंध	18
13	नवीन परीक्षा प्रश्नपत्र प्रणाली को अकादमिक वर्ष 2014-15 से लागू करना	18
14	इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र की गतिविधियाँ एवं भविष्य की योजनाओं का अनुमोदन	19
15	कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र की गतिविधियाँ एवं भविष्य की योजनाओं का अनुमोदन	21
16	गांधी शोध वृत्ति	22
17	युगपुरुषों के चिंतन व विचारधाराओं के प्रश्नपत्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना	22
18	एम.फिल. अध्यादेश एवं पीएच.डी. के संशोधित अध्यादेश का अनुमोदन	23
19	एम.फिल. पाठ्यक्रम डेढ वर्ष किए जाने तथा इसके निर्माण का अनुमोदन	23
20	दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा नियमित एम.फिल. तथा पीएच.डी. आरंभ करने और शोध उपाधि समिति का प्रस्ताव	24
21	दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा सत्र 2014-15 में संचालित पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण	24
22	दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अध्ययन केंद्र खोलने की स्वीकृति	25
23	यूजीसी की नवाचारी योजना के अंतर्गत 'भारतीय एवं पाश्चात्य कला और सौंदर्यशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' पाठ्यक्रम	26
24	जैनविद्या शोध प्रतिष्ठान/अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन व शोध केंद्र, चेन्नई को विश्वविद्यालय के शोध प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता	27
25	कोश इकाई	27
26	भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत प्रोद्यौगिकी अध्ययन केंद्र की स्थापना एवं पाठ्यक्रमों को कार्योतर स्वीकृति	28
27	भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र की स्थापना एवं पाठ्यक्रमों को कार्योतर स्वीकृति	28
28	लोक प्रशासन विषय में एम.ए./एम.फिल. पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार	28
29	विषय विशेषज्ञों का चयन	29
30	पीएच.डी. नोटिफिकेशन एवं अनंतिम प्रमाणपत्र	29
31	बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझाव	30

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद् की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की 21वीं बैठक मा. कुलपति की अध्यक्षता में 11 जुलाई, 2014 को सुबह 10:30 बजे से, भाषा विद्यापीठ के सभाकक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नांकित ने सहभागिता की :

1.	प्रो. गिरीश्वर मिश्र	:	अध्यक्ष
2.	प्रो. अरुण कमल	:	सदस्य
3.	प्रो. रंजना अरगड़े	:	सदस्य
4.	प्रो. दिविक रमेश	:	सदस्य
5.	प्रो. मनोज कुमार	:	सदस्य
6.	प्रो. अनिल कुमार राय	:	सदस्य
7.	प्रो. सूरज प्रसाद पालीवाल	:	सदस्य
8.	प्रो. एल. कारुण्याकरा	:	सदस्य
9.	प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल	:	सदस्य
10.	प्रो. सुरेश शर्मा	:	सदस्य
11.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	:	सदस्य
12.	प्रो. शंभु गुप्त	:	सदस्य
13.	प्रो. संतोष कुमार भदौरिया	:	सदस्य
14.	प्रो. वी. के. कौल	:	सदस्य
15.	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	:	सदस्य
16.	डॉ. अन्नपूर्णा चर्ले	:	सदस्य
17.	डॉ. कृपाशंकर चौबे	:	सदस्य
18.	डॉ. फरहद मलिक	:	सदस्य
19.	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	:	सदस्य
20.	श्री जगदीप सिंह दांगी	:	सदस्य
21.	डॉ. रविंद्र टी. बोरकर	:	सदस्य
22.	सुश्री सुप्रिया पाठक	:	सदस्य
23.	डॉ. सुरजीत कुमार सिंह	:	सदस्य
24.	डॉ. रवि कुमार	:	सदस्य
25.	श्री संजय बी. गवई	:	विशेष आमंत्रित
26.	डॉ. शोभा पालीवाल	:	विशेष आमंत्रित
27.	प्रो. देवराज	:	पदेन सचिव

बैठक आरंभ होने के पूर्व, विश्वविद्यालय के कुलगीत की प्रस्तुति के पश्चात् नवागत मा. कुलपति एवं विद्या-परिषद् के अध्यक्ष, प्रो. गिरीश्वर मिश्र एवं सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। श्रीमती रंजना अरगड़े और प्रो. मनोज कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर विश्वविद्यालय की बागडोर संभालने पर कुलपति एवं विद्या-परिषद् के अध्यक्ष का दायित्व संभालने पर प्रो. मिश्र को शुभकामनाएँ दीं।

सर्वप्रथम, कुलसचिव द्वारा मा. कुलपति का परिचय, विद्या-परिषद् के सभी मा. सदस्यों से करवाया गया। उन्होंने सूचित किया कि डॉ. जे.पी. राय के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप, डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर को धारा 14(1)(f) के अंतर्गत नया सदस्य नामित किया गया है तथा यह भी अवगत कराया कि छात्र प्रतिनिधियों की 1 अकादमिक वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अतः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नए छात्रों के आने पर धारा 14(1)(k) के प्रावधान के अनुसार छात्र प्रतिनिधियों के नामांकन की कार्रवाई की जाएगी।

पदेन सचिव ने पूर्व कुलपति, श्री विभूति नारायण राय तथा उनकी कार्यावधि समाप्त होने पर कार्यकारी कुलपति रहे प्रो. मनोज कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने पूर्व कुलसचिव, डॉ. कैलाश खामरे, पूर्व सदस्य-डॉ. जे.पी. राय एवं 2 छात्र प्रतिनिधियों-सुश्री शेल्लिना तोइजम एवं श्री राजकुमार के प्रति अपनी सदस्यता की एकवर्षीय अवधि में विश्वविद्यालय को दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया।

विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् के सदस्यों के स्वपरिचय के उपरांत, पदेन सचिव द्वारा मा. अध्यक्ष से अपने विचार प्रस्तुत करने का निवेदन किया। अध्यक्ष ने अपेक्षा की कि सदस्यों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय को एक नई दिशा मिल सकेगी तथा वे इसकी प्रगति के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। उनका मानना था कि विश्वविद्यालय द्वारा इस बैठक में लिए जाने वाले विभिन्न निर्णयों एवं चर्चा के फलस्वरूप प्रगति में गति आएगी। अपने संबोधन में उन्होंने ग्रीन कंप्यूटिंग तथा कागज की बचत हेतु आधुनिक तकनीक के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया और ई-प्रणाली को अपनाते हुए, सदस्यों के मेल आई.डी. पर भेजी गई कार्यसूची एवं प्रोजेक्टर पर स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त की प्रस्तुति इत्यादि से इसकी शुरूआत करने तथा भविष्य में पारदर्शिता के मद्देजनर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पिछले कार्यवृत्त को शीघ्र उपलब्ध करवाए जाने के प्रयास से अवगत कराया।

उनका कहना था कि ईमेल, वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाए। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि हिंदी की उत्तरोतर प्रगति के लिए अपना पूर्ण योगदान दें तथा अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने-अपने विभागों/केंद्रों से संबंधित कार्य-योजना का प्रस्ताव तैयार करें एवं लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें आधुनिक तकनीक के उपयोग से बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव ने कार्रवाई आरंभ करते हुए सूचित किया कि विद्या-परिषद् के अन्य सदस्य-प्रो. तुलसीराम, डॉ. मनोज कुमार राय, डॉ. राजीव रंजन राय एवं डॉ. मैत्रेयी घोष अपरिहार्य कारणवश बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सभी सदस्यों से कार्यसूची में टंकण अथवा मानवीय भूलवश हुई त्रुटियों की ओर ध्यानाकर्षित करने का अनुरोध तथा यदि ऐसी त्रुटि हो, तो उसके लिए खेद व्यक्त किया।

तदुपरांत, कार्यसूची के अनुसार, बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई। प्रस्तुत कार्यसूची पर चर्चा के उपरांत लिए गए निर्णयों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है :

मद संख्या–1

विद्या–परिषद् की पिछली (20वीं) बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि

विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की 20वीं बैठक कार्यकारी कुलपति – प्रो. मनोज कुमार की अध्यक्षता में भाषा विद्यापीठ, वर्धा के सभा–कक्ष में 27 फरवरी, 2014 को सम्पन्न हुई थी, जिसका कार्यवृत्त सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दिया गया था।

कार्यवृत्त की प्रति विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ पृष्ठ संख्या–3 से 12 पर प्रस्तुत है तथा कार्यवृत्त के संदर्भ में निम्नांकित मदों में संशोधन अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं :

मद संख्या–11

पीएच.डी. उपाधि देने की अनुमति को कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव :

विद्या–परिषद् द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में लिए गए निर्णय का उद्धरण इस प्रकार है:

निर्णयः *विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग, स्त्री अध्ययन विभाग, भाषा प्रौद्योगिकी, सीसीएमएस, मानवविज्ञान विभाग तथा अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच.डी. उपाधि प्रदान किए जाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।*

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आगे से मौखिकी की तिथि से ही प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। मौखिकी की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष द्वारा अधिष्ठाता को दी जाएगी तथा अधिष्ठाता द्वारा कुलपति से स्वीकृति प्राप्त कर प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्देश परीक्षा विभाग को भेजा जाएगा तथा जिन विद्यार्थियों की मौखिकी हो चुकी है परंतु उनका प्रस्ताव विद्या–परिषद् में किन्हीं कारणवश नहीं रखा गया है उन्हें भी उनकी मौखिकी की तिथि से ही प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। विभागाध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया मौखिकी संपन्न होने के 15 दिनों में कर ली जाए।

उपर्युक्त निर्णय को विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया था किंतु इसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश न होने की वजह से तकनीकी कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे कि प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व परीक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होनी चाहिए तथा सक्षम निकाय – आरडीसी/स्कूल बोर्ड के माध्यम से विद्या–परिषद् के समक्ष प्रस्ताव भेजने के संबंध में भी निर्णय अस्पष्ट/अधूरा है। ध्यातव्य है कि परीक्षा विभाग द्वारा विद्या–परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिसूचना जारी कर प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर लिया गया निर्णय पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः परीक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी किए जाने की कार्रवाई को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा भविष्य के लिए संशोधित पद्धति का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या-23(3)

दूर शिक्षा निदेशालय के तहत क्षेत्रीय केंद्रों को अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता

विद्या-परिषद् द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में लिए गए निर्णय का उद्धरण इस प्रकार है:

निर्णयः *विश्वविद्यालय के दो क्षेत्रीय केंद्रों - इलाहाबाद एवं कोलकाता को दूर शिक्षा निदेशालय के तहत क्षेत्रीय केंद्रों को अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता दिए जाने के प्रस्ताव* ***का अनुमोदन किया।***

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के इलाहाबाद एवं कोलकाता के दोनों क्षेत्रीय केंद्र नियमित केंद्र के रूप में स्वीकृत हुए हैं जिनके संदर्भ में बने अध्यादेशों के अनुसार उनके अंतर्गत कार्ययोजना निश्चित है। दूर शिक्षा निदेशालय की कार्य प्रकृति और उसके अध्ययन केंद्र संबंधी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार ही होना उचित है। इसलिए सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार पत्रांकः 003/का.आ./02-40/2014, दिनांक-27.03.014 के द्वारा इलाहाबाद और कोलकाता क्षेत्रीय केंद्रों को दूर शिक्षा निदेशालय के तहत अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता को स्थगित किया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में लिया गया निर्णय पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत है।

अनुलग्नक : विद्या-परिषद् की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त (पृष्ठ संख्या-3 से 13 तक)

निर्णयः इलाहाबाद और क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दूर शिक्षा निदेशालय के तहत अध्ययन केंद्र के रूप में मान्यता देने के पिछले निर्णय को रद्द किया गया और निर्णय लिया गया कि ये केंद्र विश्वविद्यालय के केंद्रों के रूप में बने रहेंगे, किंतु आवश्यक होने पर, इन दोनों केंद्रों का, दूर शिक्षा निदेशालय की योजनाओं के लिए सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

सर्वसम्मति से शेष कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या-2

विद्या-परिषद् की 20वीं बैठक के निर्णयों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई

विद्या-परिषद् की 29 जुलाई 2014 को सम्पन्न 20वीं बैठक में अनुमोदित प्रकरण के संदर्भ में की गयी कार्रवाई माननीय विद्या-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि टंकण त्रुटि की वजह से 20वीं बैठक की मद संख्या-19 में एम.ए. टंकित हो गया है, जिसे एम.फिल. तथा पीएच.डी. पढ़ा जाए। साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को आगामी सत्र से संचालित किए जाने का उल्लेख है, उसे वर्ष 2015-16 का अकादमिक सत्र माना जाए।

तदनुसार विद्या-परिषद् ने की गई कार्रवाई का अवलोकन कर उसे यथोचित मानते हुए सहमति व्यक्त की।

मद संख्या –3

विश्वविद्यालय की वर्तमान अकादमिक गतिविधियाँ एवं भावी योजनाएँ

(i) <u>प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत</u> :

आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को आत्मसात करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अकादमिक सत्र 2014–15 से प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसका काफी अच्छा प्रतिफल मिल रहा है। विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक इंटरनेट की सुविधा का उपयोग करते हुए देश के अलग–अलग स्थानों से आवेदन कर रहे हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अब तक प्राप्त 1715 आवेदनों में से लगभग 600 आवेदन ऑनलाईन प्राप्त हुए हैं।

(ii) <u>नए विद्यापीठ एवं विभाग</u> :

विश्वविद्यालय के अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत विश्वविद्यालय को आंरभ में कुल 4 विद्यापीठ स्वीकृत हुए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांकः एफ. 26–9/2008–डैस्क(यू)/एल–आई, दिनांक 03.08.2010 द्वारा शिक्षा विद्यापीठ सहित 4 अन्य विद्यापीठ स्वीकृत हुए हैं, जिनके संदर्भ में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पद एवं अनुदान प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा विद्यापीठ हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांकः एफ.26–9/2008–डैस्क(यू)/एल–आई, दिनांकः 03.08.2010 द्वारा कुल 8 असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 एसोशिएट प्रोफेसर तथा 2 प्रोफेसर के पद प्राप्त हुए हैं। सूचित किया जाता है कि अकादमिक वर्ष 2014–15 से शिक्षा विद्यापीठ की गतिविधिया आरंभ की जा रही हैं तथा मनोविज्ञान विभाग में एम.फिल. पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है, जिसके लिए 5 सीटें निर्धारित की गई हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त पत्रों तथा विद्यापरिषद के पूर्व निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय में नए विभागों यथा संस्कृत–साहित्य विभाग, उर्दू–साहित्य विभाग, मनोविज्ञान विभाग तथा विकलांगता अध्ययन विभाग को आरंभ किए जाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह किया गया है।

(iii) <u>अकादमिक वर्ष 2014–15 से नए पाठ्यक्रमों का संचालन</u> :

विभाग/केंद्र का नाम	विद्यापीठ	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान *
मनोविज्ञान विभाग	मानविकी एवं समाजिक विज्ञान विद्यापीठ	एम.फिल. मनोविज्ञान	10
शिक्षा विभाग	शिक्षा विद्यापीठ	एम.ए. शिक्षा शास्त्र	30
डायस्पोरा अध्ययन विभाग	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	पीएच.डी.माइग्रेशन, डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल स्टडीज	05
क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद		एम.फिल. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)	05
		एम.ए. हिंदी	30

क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद	---	एम.ए समाज कार्य	20
		नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	15
		अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	15
क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता		एम.ए. हिंदी तुलनात्मक साहित्य	30

*** उक्त स्थान** (seat) **प्रवेश समिति की अनुशंसाओं के आधार पर उल्लिखित हैं।**

(iv) <u>केंद्रीय विद्यालय</u> :

विश्वविद्यालय के अलावा वर्धा के अन्य केंद्रीय संस्थानों के कर्मियों के बच्चों हेतु बेहतर शिक्षा के लिए एक केंद्रीय विद्यालय की आवश्यकता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर प्रयास चल रहा था।

सहर्ष सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने विश्वविद्यालय में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए पत्रांकः F.26-2/ 2014-Desk(U) दिनांक–27 मई, 2014 के माध्यम से अपनी स्वीकृति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पत्रांकः F.51-1/2012-(CU), दिनांक–6 जून, 2014 द्वारा अनापत्ति प्रदान की है। वर्धा में केंद्रीय विद्यालय का अधिकार क्षेत्र केंद्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर के पास होने के कारण, विश्वविद्यालय में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर (म.प्र.) से आगे की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन, यूजीसी से प्राप्त अनापत्ति पत्र एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर को प्रेषित अनुरोध की प्रति सूचनार्थ पृष्ठ–32 से 36 पर संलग्न हैं।

(v) <u>व्याख्यान–माला कार्यक्रम</u> :

विश्वविद्यालय में देश/विदेश के महान चिंतकों के विचारों पर केंद्रित **वार्षिक व्याख्यान–माला** का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इस आयोजन के प्रथम चरण में महात्मा गांधी, बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, डॉ. राम मनोहर लोहिया, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद तथा विनोबा भावे के विचारों पर केंद्रित वार्षिक व्याख्यान–माला का आयोजन किए जाने हेतु कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सदस्य के रूप में समस्त विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष तथा आयोजन–सचिव अकादमिक संयोजक को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त एक स्थानीय प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाएगा, जिसका निर्णय आयोजन–समिति अपनी प्रथम बैठक में करेगी।

(vi) <u>वर्धा संस्कार प्रकोष्ठ की स्थापना</u> :

विश्वविद्यालय के छात्रों में भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रति दिलचस्पी जागृत करने और उनके भीतर की कलात्मक अभिरूचि को अभिव्यक्ति देने हेतु वर्धा संस्कार प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय परिसर में रचनात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए यह आवश्यक है। इसके अंतर्गत सप्ताहांत सिनेमा,

कविता पोस्टर प्रदर्शनी, छायाचित्र प्रदर्शनी, लेखक के साथ चाय, मेघ-मल्हार, चित्रकला ग्रुप शो, सानिध्य/सम्मुख बहिरंग मेला आदि कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। सहायक संपादक, श्री राकेश श्रीमाल को इसका संयोजक बनाया गया है।

(vii) <u>ई-रिसोर्सेज के अंतर्गत ई-लर्निंग मैटेरियल की वेबसाइट पर उपलब्धता</u> :

विश्वविद्यालय में ई-रिसोर्सेज के अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षकों से अपने विषयों से संबंधित ई-लर्निंग मैटेरियल तैयार करने तथा विभाग में उपलब्ध महत्त्वपूर्ण व्याख्यान टेक्स्ट/आडियो-विजुअल के रूप में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

(viii) <u>विश्वविद्यालय नवाचार क्लब</u> :

विश्वविद्यालय में कक्षा शिक्षण, अध्ययन एवं शोध के क्षेत्र में नवीन पद्धतियों की खोज और उनके कार्यान्वयन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय नवाचार क्लब (University Innovation Club) स्थापित किया गया है, जिसका संयोजक, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के अधिष्ठाता-प्रो. देवराज को बनाया गया है।

Exhibition of Innovations विषय पर 11 मार्च, 2014 मे राष्ट्रपति भवन में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए माननीय कुलपति द्वारा नामित प्राध्यापक प्रतिनिधि-डॉ. रवि कुमार तथा विद्यार्थी प्रतिनिधि-सुश्री अनुपमा कुमारी ने भागीदारी की।

(ix) <u>डॉ. अंबेडकर अध्ययन केंद्र</u> :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांकःF.61/2012(NFE), दिनांक-11.09.2013 के माध्यम से 'Epoch Making Social Thinkers on India' के अंतर्गत डॉ. अंबेडकर अध्ययन केंद्र को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत (वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक के लिए) 01.04.2013 से 31.03.2017 तक विस्तारित किया गया है। केंद्र के निदेशक के रूप में प्रो. मनोज कुमार, निदेशक, फ्यूजी गुरुजी शांति अध्ययन केंद्र को नामित किया गया है। साथ ही, डॉ. रामगोपाल मीणा की सेवाएँ 1.1.2014 से रिसर्च एसोसिएट के पद पर 179 दिनों के लिए ली गई हैं।

यह केंद्र आगामी योजना के अंतर्गत पी.जी. डिप्लोमा इन अंबेडकर थॉट को आरंभ करने, डॉ. अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर, वाद-विवाद व निबंध प्रतियोगिताएं, अंबेडकर के विचारों को लेकर विभागीय पत्रिका का प्रकाशन, केंद्र की वेब-पत्रिका व केंद्र के पास उपलब्ध महत्वपूर्ण पुस्तकों का डिजीटल संस्करण तैयार करने आदि कार्य किए जाने का प्रयास कर रहा है।

(x) <u>नेहरु अध्ययन केंद्र</u> :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 'Epoch Making Schemes' के अंतर्गत नेहरू अध्ययन केंद्र को 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत (वर्ष 2013-14 से 2016-17

तक के लिए) 01.04.2013 से 31.03.2017 तक विस्तारित किया गया है। केंद्र के निदेशक के रूप में प्रो.के.के. सिंह, अध्यक्ष–साहित्य विभाग को नामित किया गया है। इसके सलाहकार बोर्ड के गठन तथा रिसर्च एसोसिएट की नियुक्ति किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उल्लेखनीय है कि यूजीसी द्वारा इसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है।

यह केंद्र आगामी योजना के अंतर्गत छः माह का सर्टिफिकेट कोर्स, स्थानीय स्कूल–कॉलेजों तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए चला सकता है, जिसके लिए पात्रता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(xi) <u>अकादमिक स्टॉफ कालेज की स्थापना</u> :

इस विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों में नव नियुक्त अध्यापकों को वैश्विक और भारतीय संदर्भ में उच्च शिक्षा का महत्व समझाने, शिक्षा द्वारा सृजनात्मक विकास के अवसरों का उपयोग करने, शिक्षा और समाजार्थिक तथा समाज–सांस्कृतिक विकास के मध्य संबंध को समझाने, कॉलेज/विश्वविद्यालय के संगठन और प्रबंधन को समझने, समग्र प्रणाली में शिक्षक को उसकी भूमिका से अवगत कराने व शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कम्प्यूटर ज्ञान तथा आई.सी.टी के प्रयोग को बढ़ावा देने इत्यादि उद्देश्यों हेतु विश्वविद्यालय में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज का होना आवश्यक है।

एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज के महत्व को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय में अकादमिक स्टॉफ कॉलेज की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव भेजा गया है।

(xii) <u>सामुदायिक महाविद्यालयों की परियोजना</u> :

यूजीसी ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के लिए (2012–14) सामुदायिक महाविद्यालयों की परियोजना *(Scheme of Community College)* हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य कार्यबल में प्रत्यक्ष भरती पाने वाले छात्रों को कैरियर अभिमुखी शिक्षा एवं कुशलताएँ प्रदान करना, स्थानीय नियोक्ताओं के लिए अनुबंधात्मक प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम, माध्यमिक विद्यालयों से निकले ऐसे स्नातक, जो पारंपरिक महाविद्यालयों में नामांकन करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें उच्च स्पर्श युक्त उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना ताकि उनके लिए 3–4 वर्ष वाले संस्थानों में स्थानांतरित करने का मार्ग सुगम बन सके एवं व्यक्तिगत विकास एवं रूचि के लिए समुदाय को सामान्य रूचि वाले पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना मुख्य करणीय कार्य हैं। सूचित किया जाता है कि इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव यूजीसी को भिजवाने की कार्रवाई की जा रही है।

(xiii) 12वीं योजना (2012–2017) के अंतर्गत खेल–कूद के विकास हेतु उत्कृष्टता केंद्र

देश के युवाओं की खेलकूद में भागीदारी को सुलभ बनाने तथा उनके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु यूजीसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उत्कृष्टता केंद्र

सृजित करना चाहता है, जो न केवल देश के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए सहायक प्रणाली के रूप में रहेगा, बल्कि खेल वैज्ञानिकों के लिए एक संवर्द्धन स्थल के रूप में कार्यरत होगा, जो अन्ततः भारत के खेल सम्मेलनों एवं संघों को विशाल रूप में मानव संसाधन उपलब्ध कराएगा।

इस मूल उद्देश्य के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 12वीं योजना (2012-2017) के अंतर्गत **खेल-कूद में विकास हेतु उत्कृष्टता केंद्र** [Centre of Excellence for Development of Sports (CEDS)] की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं जिसके तहत **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 05 विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विभागों को चिह्नित करके उन्हें खेलों के विकास में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में निर्दिष्ट करेगा।**

सूचित किया जाता है कि प्रस्ताव की उपयोगिता व विश्वविद्यालय की प्रगति के आलोक में एक प्रस्ताव यूजीसी को भिजवाने की कार्रवाई की जा रही है।

(xiv) विद्यार्थियों/शोधार्थियों के हितार्थ विभिन्न योजनाओं हेतु समितियों का गठन :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 10.1 व 10.02 के अनुसरण में विद्यार्थियों/शोधार्थियों के अकादमिक/शैक्षणिक-जीवन में सुधार हेतु स्वास्थ्य समिति तथा खेल समिति का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-11 के अनुसरण में संकायाध्यक्ष, छात्र-कल्याण ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य/उचित मार्गनिर्देशन व सलाह हेतु निम्नांकित समितियों का गठन किया है -

- पूर्व छात्र संघ एवं पालक संचार प्रकोष्ठ
- प्रतियोगी परीक्षाओं एवं नेट/सेट के लिए अनुशिक्षण कक्षाएं तथा व्यवसायोन्नति प्रकोष्ठ
- सहपाठ्यक्रम एवं सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधि प्रकोष्ठ
- छात्र मार्गदर्शन, एवं परामर्श प्रकोष्ठ
- व्यवसाय परामर्श, रोजगार सूचना एवं नियोजन प्रकोष्ठ

उपर्युक्तानुसार संबद्ध कार्यालयादेश की प्रति पृष्ठः 37 से 40 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

संलग्नक :

- कार्यालयादेश क्रमांकः 003/2003/का.आ./2-53/2014 दिनांक 30.05.2014 के तहत स्वास्थ्य समिति
- कार्यालयादेश क्रमांकः 003/2003/का.आ./2-54/2014 दिनांक 30.05.2014 के तहत खेल समिति
- शेष कार्यालयादेश क्रमांकः 013/2008/छा.क./1/286 एवं 287 दिनांक 28.05.2014 के तहत।

(xv) नैक (NAAC) द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय का नैक द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन करवाए जाने का दायित्व अकादमिक संयोजक को सौंपा गया है। उन्होंने दिनांक-11.04.2014 को एलओआई (Letter of Intent) भरकर नैक कार्यालय को भेज दिया था, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर नैक के निर्देशानुसार 7 सितंबर, 2014 से पहले सेल्फ स्टडी रिपोर्ट (SSR) भरकर नैक, बंगलोर को प्रेषित की जानी है। एसएसआर के अंतर्गत 1. Profile of Institution, 2. SWOC (Strength, Weakness, Opportunity, Challenges), 3. Criteria wise Inputs, 4. Evaluative Report of Departments के संबंध में जानकारी भी प्रस्तुत की जानी है। Criteria wise Inputs के संकलन एवं जांच का कार्य चल रहा है, शेष के संबंध में कार्रवाई कर ली गई है।

उल्लेखनीय है कि नैक के मानदंडों के अनुरूप आंतरिक गुणवत्ता विनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक 18 जून, 2014 को सम्पन्न हो चुकी है।

निर्णयः प्रस्तुत प्रगति विवरण पर संतोष प्रकट किया गया और IQAC के निर्णयों को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या -4

प्रवेश समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक-1.3 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत प्रवेश अर्हताएँ, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश नियमों की समीक्षा एवं दिशा-निर्देश तय करने के लिए अधिसूचना क्रमांकः 003/2013/का.आ./02-5/2014, दिनांक 02.04.2014 के तहत प्रो. के. के. सिंह, अध्यक्ष - साहित्य विभाग की अध्यक्षता में प्रवेश समिति गठित की गई थी।

प्रवेश समिति ने दिनांक 04.04.204, 08.04.2014 तथा 16.04.2014 एवं 23.06.2014 को बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में विभिन्न अकादमिक निर्णय लिए गए। इन बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति विद्या-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

अनुलग्नक : प्रवेश समिति की बैठकों के कार्यवृत्त (पृष्ठ संख्या-42 से 50 तक)

निर्णयः नोट किया गया कि विभागाध्यक्ष, अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग के अनुरोध पर, सत्र 2014-15 में अन्य विभागों की भांति, अनुवाद प्रौद्योगिकी विषय में एम.फिल की संख्या 20 किए जाने को मा. कुलपति द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसे एवं विभागाध्यक्ष के अहिंसा एवं शांति अध्ययन विभाग में एम.फिल. की सीटों की संख्या 20 से 25 किए जाने के अनुरोध को भी स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्या-परिषद् ने प्रवेश समिति के कार्यवृत्त के बिंदु संख्या-6 पर की गई अनुसंशा पर विचार-विमर्श किया तथा एम.ए./एम.एससी. के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति जारी रखने का निर्देश देते हुए प्रवेश समिति की शेष अनुशंसाओं का अनुमोदन किया।

मद संख्या -5

एम.ए. में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु डिप्लोमा कोर्स के लिये शुल्क रु.100/- करना तथा डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के शुल्क को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क से कम करना।

विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2014-15 के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जिसमें विश्वविद्यालय में समस्त विद्यापीठों के अंतर्गत एम.ए. के लिए प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा/वर्तमान अध्ययन-माध्यम वाली भाषा/पूर्व में सीखी गई भाषा के अतिरिक्त किसी एक भारतीय अथवा विदेशी भाषा में डिप्लोमा करना अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-1.3 में दिए गए प्रावधान के अंतर्गत प्रवेश अर्हताएँ, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश नियमों की समीक्षा एवं दिशा-निर्देश तय करने के लिए अधिसूचना क्रमांकः 003/2013/का.आ./02-5/2014, दिनांक 02.04.2014 के द्वारा प्रवेश समिति गठित की गई थी।

प्रवेश समिति ने दिनांक 04.04.204, 08.04.2014 तथा 16.04.2014 तथा 23.06.2014 को बैठकें आयोजित कीं। बैठकों की अनुशंसाओं को मद संख्या-4 के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 42 से 49 पर प्रस्तुत किया गया है।

समिति की मद संख्या-5 के संदर्भ में निम्नांकित अनुशंसाएँ हैं :

अ) एम.ए. में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भारतीय अथवा विदेशी भाषा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये न्यूनतम शुल्क रु.100/- (एक सौ रुपये) रखा जा सकता है।

ब) अधिकांश डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शुल्क, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शुल्क से अधिक हैं। सिर्फ डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का शुल्क निर्धारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के शुल्क से कम किया जा सकता है।

प्रवेश समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में उल्लिखित डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारण का अनुमोदन किया जा सकता हैः

एम. ए. पाठ्यक्रम

क्र.सं.	एम. ए. पाठ्यक्रम	वर्तमान प्रवेश शुल्क	प्रस्तावित प्रवेश शुल्क
1.	भाषा प्रौद्योगिकी	2300	अनुशंसा 'अ' के अनुसार, शेष यथावत।
2.	अनुवाद प्रौद्योगिकी		
3.	कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स		
4.	इन्फॉर्मेटिक्स एण्ड लैंग्वेज इंजीनियरिंग	3300	
5.	हिंदी	2300	
6.	अहिंसा एवं शांति अध्ययन		

7.	स्त्री अध्ययन		
8.	दलित एवं जनजाति अध्ययन		
9.	बौद्ध अध्ययन		
10	नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन	3350	
11.	जनसंचार		
12.	एम.एससी. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया		
13.	मानव विज्ञान	2300	
14.	समाजकार्य	2600	
15.	शिक्षाशास्त्र	3350	

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

क्र.सं.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	वर्तमान प्रवेश शुल्क	प्रस्तावित प्रवेश शुल्क
1	पी. जी. डिप्लोमा फोरेंसिक साइंस	2650	2650
2.	पी. जी. डिप्लोमा हिंदी (अनुवाद)	1650	1650
3.	तुलनात्मक भारतीय साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
4.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा – हिंदुस्तानी		
5.	स्त्री अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
6.	पालि भाषा एवं साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
7.	बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
8.	बौद्ध पर्यटन एव गाइडिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
9.	पी.जी. डिप्लोमा इन इंडियन एण्ड वेस्टर्न आर्ट्स एण्ड एस्थेटिक्स		
10.	प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद में एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2100	1650
11.	निर्वचन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
12.	डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन	3650	3650
13.	अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1450	1450
14.	भारतीय भाषा में डिप्लोमा (मराठी, उर्दू, संस्कृत)		
15.	तिब्बती भाषा एवं बौद्ध धर्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
16.	विदेशी भाषा में डिप्लोमा (फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश, जापानी, अंग्रेजी)	2400	2400
17.	विदेशी भाषा में एडवांस्ड डिप्लोमा (स्पेनिश, चीनी, जापानी)	2400	2400
18.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा 1. टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण, विज्ञापन एवं जनसंपर्क 2. वेब पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	6000	3650
19.	पी.जी.डी.सी.ए. (भाषा प्रौद्योगिकी)	4250	3650

विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः विद्या–परिषद् ने प्रवेश समिति द्वारा प्रस्तावित प्रवेश शुल्क का अनुमोदन किया।

मद संख्या –6

पीएच.डी. शोधार्थियों को प्रदत्त प्रोविजनल उपाधि का कार्योत्तर अनुमोदन

विद्या–परिषद् की 20वीं बैठक की मद संख्या–11 पर लिए गए निर्णय के आलोक में, जिन शोधार्थियों को सफल खुली मौखिकी के उपरांत निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई, उनका विवरण निम्नानुसार है:

पीएच.डी. हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी)

क्र.	नाम	शोध प्रबंध का विषय	शोध निर्देशक का नाम	मौखिकी तिथि	अधिसूचना क्रमांक व तिथि
1	श्री अरिमर्दन कुमार त्रिपाठी	अन्वादेश विषयक प्रोक्ति-विश्लेषण एवं प्राकृतिक भाषा संसाधन	प्रो. विजय कुमार कौल	07.02.2014	परी/694/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
2	श्री शेख अन्सारपाशा शेख अब्दुल रज़्ज़ाक	हिंदी की कारक व्यवस्था का विश्लेषण (वाक्यविन्यासीय एवं आर्थी अभिलक्षणों के संदर्भ में)	डॉ. एच.ए. हुनगुंद	26.03.2014	परी/695/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
3	श्री धनजी प्रसाद	हिंदी संबंधीवाची रचनाओं का आर्थी विश्लेषण : एक संगणकीय मॉडल	डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय	25.04.2014	परी/696/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014

पीएच.डी. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य)

क्र.	नाम	शोध प्रबंध का विषय	शोध निर्देशक का नाम	मौखिकी तिथि	अधिसूचना क्रमांक व तिथि
1	सुश्री सुनीता वासुदेव लांजेवार	मालती जोशी के कथा साहित्य में नारी समस्या	डॉ. उमेश कुमार सिंह	21.10.2013	परी/558/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014
2	श्री ज्योतिष पायेंड.	हिंदी एवं असमिया के प्रतिनिधि उपन्यासों का प्रवृत्तिपरक अध्ययन	डॉ. रामानुज अस्थाना	13.03.2014	परी/556/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014
3	सुश्री कैशाम प्रतिमा देवी	हिंदी एवं मणिपुरी की प्रमुख गद्य विधाओं का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. रामानुज अस्थाना	19.02.2014	परी/555/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014
4	श्री अनूप कुमार तिवारी	हिंदी-उर्दू लेखिकाओं के उपन्यासों में नारी स्वातंत्र्य	डॉ. उमेश कुमार सिंह	30.12.2013	परी/559/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014
5	श्री अमरेन्द्र कुमार शर्मा	भारतीय तुलनात्मक साहित्येतिहास : संदर्भ नवजागरण	डॉ. रामानुज अस्थाना	25.11.2013	परी/557/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014

पीएच.डी. अहिंसा एवं शांति अध्ययन

क्र.	नाम	शोध प्रबंध का विषय	शोध निर्देशक का नाम	मौखिकी तिथि	अधिसूचना क्रमांक व तिथि
1	श्री भालचंद्र देविदास जमधाडे	डॉ. अम्बेडकर के संपादकीय का अंतर्वस्तु विश्लेषण (संदर्भ : मूकनायक एवं बहिष्कृत भारत)	प्रो. अनिल कुमार राय	01.03.2014	परी/684/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
2	श्री राजेन्द्र गुलाबराव शंभरकर	विदर्भ किसान आत्महत्या: कारण और निवारण - समाजार्थिक मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन	प्रो. मनोज कुमार	31.01.2014	परी/690/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
3	श्री राजीव कुमार	स्थायित्व का अर्थशास्त्र : एक समीक्षात्मक अध्ययन (जे.सी. कुमारप्पा के संदर्भ में)	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	26.02.2014	परी/687/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
4	श्री देवानन्द सिंह	हिन्द स्वराज : एक समीक्षात्मक अध्ययन	प्रो. मनोज कुमार	28.02.2014	परी/691/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
5	श्री देवानंद माधवराव कुंभारे	सामाजिक न्याय और आरक्षण नीति: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	10.03.2014	परी/688/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014

6	सुश्री पद्मश्नेषा सोनभद्रा	पारिस्थितिकी और मानवाधिकार आदिवासी अस्तित्व का सवाल : बैगा जनजाति के संदर्भ में	प्रो. मनोज कुमार	29.10.2013	परी/692/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
7	सुश्री पी. राधावाणी	सांप्रदायिकता, भारत विभाजन और गांधी	प्रो. मनोज कुमार	26.02.2014	परी/693/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
8	श्री अविनाश हांसदा	विश्वशांति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (अतीत, वर्तमान और भविष्य)	डॉ. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी	30.04.2014	परी/689/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
9	श्री शंभू जोशी	गांधी-दृष्टि और श्रम-समस्या	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	14.03.2014	परी/685/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014
10	श्री अमित राय	राज्य और गैर-सरकारी संगठनों के बीच अन्त:संबंधों का विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. धूपनाथ प्रसाद	29.01.2014	परी/686/मगांअंहिविवि/14 30 जून, 2014

पीएच.डी. जनसंचार

क्र.	नाम	शोध प्रबंध का विषय	शोध निर्देशक का नाम	मौखिकी तिथि	अधिसूचना क्रमांक व तिथि
1	श्री विवेक कुमार जायसवाल	साठोत्तरी साहित्यिक हिंदी पत्रकारिता का विश्लेषणात्मक अध्ययन (विशेष संदर्भ : डॉ. धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, ज्ञानरंजन, रमणिका गुप्ता और पंकज बिष्ट)	प्रो. राम शरण जोशी	01.03.2014	परी/359/मगांअंहिविवि/14 07 अप्रैल, 2014
2	श्री बच्चा बाबू	मीडिया स्वतंत्रता और ख़बरिया चैनलों की नैतिकता : आलोचनात्मक अध्ययन	प्रो. अनिल कुमार राय	27.01.2014	परी/357/मगांअंहिविवि/14 07 अप्रैल, 2014
3	श्री विवेक विश्वास	टेलीविजन समाचार चैनल और उसके वेब संस्करण का तुलनात्मक अध्ययन ('आज तक' के विशेष संदर्भ में)	प्रो. अनिल कुमार राय	27.01.2014	परी/358/मगांअंहिविवि/14 07 अप्रैल, 2014
4	सुश्री सुमन गुप्ता	अयोध्या मुद्दा : हिंदी समाचार पत्रों की भूमिका (संदर्भ वर्ष : 1986-1992)	प्रो. रामशरण जोशी	25.04.2014	परी/553/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014
5	श्री दिनेश कुशाबराव मुरार	पत्रकारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन (विदर्भ के चयनित पत्रकारों के विशेष संदर्भ में)	डॉ. कृपाशंकर चौबे	01.04.2014	परी/554/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014

पीएच.डी. अनुवाद प्रौद्योगिकी

क्र.	नाम	शोध प्रबंध का विषय	शोध निर्देशक का नाम	मौखिकी तिथि	अधिसूचना क्रमांक व तिथि
1	श्री राजेश विश्वनाथ मून	विजय तेंदुलकर के मराठी से हिंदी में अनूदित प्रयोगशील नाटकों के संवाद: भाषिक अध्ययन	डॉ. अनवर अहमद सिद्दीकी	18.02.2014	परी/591/मगांअंहिविवि/14 29 मई, 2014
2	श्री संतोष विठ्ठलराव पौळ	महानायक उपन्यास के अनुवादों का तुलनात्मक अध्ययन (संदर्भ: हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद)	डॉ. अन्नपूर्णा सी.	07.03.2014	परी/592/मगांअंहिविवि/14 29 मई, 2014
3	सुश्री मंजू तेजराम ग्वालवंश	मराठी सामाजिक उपन्यासों की हिंदी अनुवाद समीक्षा	डॉ. अन्नपूर्णा सी.	24.04.2014	परी/593/मगांअंहिविवि/14 29 मई, 2014

पीएच.डी. मानवविज्ञान

क्र.	नाम	शोध प्रबंध का विषय	शोध निर्देशक का नाम	मौखिकी तिथि	अधिसूचना क्रमांक व तिथि
1	श्री मुन्ना लाल गुप्ता	झारखंड आंदोलन एवं राज्य निर्माण का संथाल जनजाति की संस्कृति पर प्रभाव	डॉ. फरहद मलिक	17.01.2014	परी/360/मगांअंहिविवि/14 07 अप्रैल, 2014

पीएच.डी. इंफॉरमेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग

क्र.	नाम	शोध प्रबंध का विषय	शोध निर्देशक का नाम	मौखिकी तिथि	अधिसूचना क्रमांक व तिथि
1	श्री अखिलेश कुमार	अनुक्रमिक पद-विच्छेदन अधिगम आधारित हिंदी नामीय पद अभिज्ञानक	प्रो. विजय कुमार कौल	11.04.2014	परी/552/मगांअंहिविवि/14 06 मई, 2014

उल्लेखनीय है कि विद्या-परिषद् की पिछली बैठक के उपर्युक्त निर्णय को विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया था, किंतु प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व परीक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने का उल्लेख निर्णय में होना चाहिए था। ऐसा न होने के कारण सक्षम अधिकारी की अनुमति से कार्रवाई करते हुए परीक्षा विभाग द्वारा विद्या-परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में अधिसूचना जारी कर उपर्युक्तानुसार प्रॉविजनल प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

विद्या-परिषद् कृपया इस कार्रवाई की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करे।

निर्णयः कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

मद संख्या -7

विदेशी शिक्षण प्रकोष्ठ को विभाग/केंद्र के रूप में मान्यता

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रमुख दायित्वों में से एक हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना भी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए केंद्रीय और समन्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयत्नशील है। आठवें और नौवें विश्व हिंदी सम्मेलनों में विश्वविद्यालय को इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए थे।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने सौंपे गए और अपेक्षित दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी शिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की है। प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ, भाषा विद्यापीठ के भाषा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत संचालित हो रही हैं। प्रकोष्ठ के प्रभारी-प्रो. हनुमान प्रसाद शुक्ल हैं तथा यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों से, उनके नियमित दायित्वों के अलावा, सहयोग लेकर तथा बाह्य विशेषज्ञों की सेवाओं का भी यथासंभव लाभ लेकर इस प्रकोष्ठ की प्रगति के लिए प्रयासरत है।

प्रकोष्ठ का लक्ष्य सब प्रकार से हिंदी को एक समर्थ अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने के साथ-साथ ही दुनिया के दूसरे भाषा-भाषी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध के विस्तार और संवाद के सेतु का निर्माण करना भी है। यह प्रकोष्ठ विदेशी विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन, प्रबंधन, नियमन और शिक्षण करता है। प्रकोष्ठ द्वारा विदेशी विद्यार्थियों के लिए विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के कई पाठ्यक्रम संचालित हैं। एम.ए./एम.फिल./पी-एच.डी. में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित न्यूनतम मानदंडों पर सीधे प्रवेश के पात्र हैं। इन पाठ्यक्रमों में 3-4 सप्ताह के गहन हिंदी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, तीन माह और छह माह के प्रमाणपत्र तथा एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम मुख्य है। अब तक इन पाठ्यक्रमों में यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों-जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, क्रोएशिया, हंगरी, श्रीलंका, थाइलैंड, मॉरिशस, चीन,

मलेशिया, जापान, सिंगापुर, नेपाल, कोरिया, यू.एस.ए. आदि के 123 विद्यार्थी अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें 43 पुरूष और 80 महिलाएँ हैं। इन 123 में से 4 पीएचडी में शोधरत हैं, 2 एमए उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तथा शेष डिप्लोमा एवं अल्पकालीन पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर चुके हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय विदेशों में हिंदी का शिक्षण करने वाले अध्यापकों के लिए 1-2 सप्ताह का अभिविन्यास/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित करता है, जिसमें सहभागियों की संख्या 10-15 तक हो सकती है।

विश्वविद्यालय ने अपने शैक्षणिक/अकादमिक गतिविधियों के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत दुनिया के 7 देशों के 9 विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के साथ शैक्षणिक अनुबंध किए हैं और भविष्य में अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध की योजना है :

अनुबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान		
श्रीलंका	यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया, केलानिया	http://www.kln.ac.lk/
	सबरगामुवा यूनिवर्सिटी, बेलिहुलोया	http://www.sab.ac.lk/
मॉरिशस	महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट, मोका	http://www.mgirti.org
हंगरी	इतवॉस लोरांद यूनिवर्सिटी, बुदापेस्त	http://www.elte.hu/en
बेल्जियम	घेंट यूनिवर्सिटी, घेंट	http://www.ugent.be/en
इटली	यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिन, टूरिन	http://www.unito.it/
जर्मनी	यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबेंगिन, जर्मनी	http://www.uni-tuebingen.de/en
	यूनिवर्सिटी ऑफ हम्बुर्ग, जर्मनी	http://www.uni-hamburg.de/
रूस	मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, मॉस्को	http://www.msu.ru/

इन अनुबंधों के अंतर्गत महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और अनुबंधित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों/शोधार्थियों और शिक्षकों के बीच परस्पर शैक्षणिक/अकादमिक गतिविधियों की आवश्यकताओं के अनुरूप आदान-प्रदान के कार्यक्रम होते हैं।

उल्लेखनीय है कि -

नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण के लिए मानक पाठ्यक्रम के निर्माण का विशेष दायित्व भी विश्वविद्यालय को सौंपा गया है।

सूचित किया जाता है कि महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वाविद्यालय, वर्धा में 11 से 21 दिसंबर, 2012 तक हुई 10 दिवसीय कार्यशाला में देश-विदेश के अनुभवी विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श के उपरांत 4 सप्ताह तथा 12 सप्ताह के दो व्यावहारिक पाठ्यक्रमों का ढांचा प्रस्तुत किया था।

इसी परिप्रेक्ष्य में 24 एवं 25 जून, 2014 को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर विदेशी विद्यार्थियों/विश्वविद्यालयों के लिए एक मानक पाठ्यक्रम तैयार तैयार किया गया है। इस कार्यशाला में पाठ्यक्रम तैयार करने के साथ-साथ सभी दूतावासों तथा आइसीसीआर आदि के सहयोग से विदेशी शिक्षण से जुड़े संस्थानों से संपर्क, विदेशों में हिंदी शिक्षण के लिए जाने वाले शिक्षकों हेतु 2 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस विश्वविद्यालय के विदेशी शिक्षण कार्यक्रम से जुड़े शिक्षकों एवं देश के अन्य शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष एक/दो कार्यशाला का आयोजन तथा विशिष्ट शिक्षकों के अनुभव

पर पुस्तक के प्रकाशन संबंधी कई अनुशंसाएँ की गई हैं। इसके साथ-साथ, विदेशी विद्यार्थियों/विश्वविद्यालयों हेतु मानक पाठ्यक्रम एवं मासिक शुल्क निर्धारण के संबंध में 4.7.2014 को भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की अनुशंसाओं को मद संख्या-8 पर विद्या-परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

यद्यपि भारत के अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा लिए जा रहे शुल्क की तुलना में अत्यल्प शिक्षण शुल्क पर बेहतरीन सुविधाओं सहित उत्तम शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु यह विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध है किंतु विश्वविद्यालय के अधिनियम द्वारा विहित कर्तव्य और 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में पारित संकल्पों को पूरा करने हेतु सुसज्जित तथा वातानुकूलित ई-क्लास-रूम, रिसोर्स सेंटर, पाठ्यसामग्री (उत्पादन इकाई सहित) इत्यादि समस्त मूलभूत सुविधाओं से सम्पन्न कार्यालय होना आवश्यक है। प्रस्तावित है कि वर्तमान विदेशी शिक्षण प्रकोष्ठ को भाषा विद्यापीठ अथवा एक स्वतंत्र विभाग/केंद्र के रूप में स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

निर्णयः विद्या-परिषद् ने विदेशी शिक्षण प्रकोष्ठ को भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत एक स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की।

मद संख्या -8

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त का अनुमोदन

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 4 जुलाई, 2014 की बैठक का कार्यवृत्त विद्या-परिषद् के समक्ष 11.07.2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः बैठक में प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या -9

शिक्षा-विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की पहली बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रांकःएफ.26-9/2008-डैस्क(यू)/एल-आई, दिनांक 03.08.2010 द्वारा शिक्षा विद्यापीठ का अनुमोदन **तथा** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांकः15-5/2012(सीयू), दिनांक 07.08.2013 के अंतर्गत 2 प्रोफेसर, 3 एसोसिएट प्रोफेसर तथा 8 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद और बीएड तथा एमएड पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

विद्यापीठ की अकादमिक गतिविधियों की शुरूआत हेतु प्रो. अनिल कुमार राय को शिक्षा विद्यापीठ के अधिष्ठाता तथा डॉ. मनोज कुमार राय को समन्वयक का दायित्व, उनके मूल कर्त्तव्यों के अतिरिक्त सौंपा गया है।

नए अकादमिक सत्र 2014-15 से ही शिक्षा विद्यापीठ को क्रियाशील किए जाने हेतु शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड/विद्यापीठ मण्डल की पहली बैठक 19 जून, 2014 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त विद्या-परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक : शिक्षा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की पहली बैठक का कार्यवृत्त (पृष्ठ संख्या-60 से 64 तक)

निर्णयः प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–10

संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन

संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र की शोध उपाधि समिति की बैठक 30 अप्रैल, 2014 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक :शोध उपाधि समिति के कार्यवृत्त का अनुमोदन (पृष्ठ संख्या–61 से 62 तक)

निर्णयः प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–11

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के कार्यवृत्त का अनुमोदन

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक 4 जुलाई, 2014 की बैठक का कार्यवृत्त विद्या–परिषद् के समक्ष 11.07.2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इसे माननीय सदस्यों को ई–मेल से भी भेजा गया है।

निर्णयः प्रस्तुत कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–12

विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के साथ अकादमिक अनुबंध

विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के साथ महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध किए जाने की दिशा में कार्य हो रहा है। इनका उद्देश्य सम्मिलित अध्ययन योजनाएँ और अन्य अकादमिक योजनाएँ चलाना है।

छात्र और अध्यापक पारस्परिक विनिमय के संबंध में विश्वविद्यालय का एक अनुबंध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) के साथ हुआ है, जिसकी प्रति पृष्ठ 65 एवं 67 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

उल्लेखनीय है कि इस अनुबंध के अंतर्गत डॉ. महावीर प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की योजना बनी है। इस संगोष्ठी में हमारे विश्वविद्यालय से छात्र एवं अध्यापक भाग लेने जा रहे हैं।

अनुलग्नक : कुमाऊँ विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध की प्रति (पृष्ठ संख्या–65 से 67 तक)

निर्णयः राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं उस पर होने वाले प्रस्तावित व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या–13

नवीन परीक्षा प्रश्नपत्र प्रणाली को अकादमिक वर्ष 2014–15 से लागू करना

परीक्षा विभाग ने अनुवाद प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठित पाठ्यक्रम की प्रति विद्या–परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की थी, जिसमें परीक्षा एवं प्रश्नपत्र निर्माण संबंधी प्रस्ताव सुझाए गए थे।

उल्लेखनीय है कि यह प्रस्ताव विद्या-परिषद् के समक्ष 29.07.2013 को सम्पन्न 19वीं बैठक में मद संख्या-22 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। विद्या-परिषद् द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय का उद्धरण इस प्रकार है :

निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित :

1. दीर्घउत्तरीय/वर्णनात्मक प्रश्नपत्र में शब्दों की कोई सीमा नहीं की जाए।
2. लघुउत्तरीय प्रश्नपत्र में शब्दों की सीमा 200 तथा अतिलघुउत्तरीय की शब्द सीमा 50 निर्धारित की जाए।
3. बाह्य लिखित परीक्षा (External Written Assessment) के लिए 75 प्रतिशत अंक तथा आंतरिक परीक्षा (Internal Assessment) के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किया जाए।

उपर्युक्त निर्णय के संदर्भ में पूर्व कुलपति, श्री विभूति नारायण राय के निर्देशानुसार, **नवीन परीक्षा प्रश्नपत्र प्रणाली को वर्ष 2013-14 के लिए स्थगित करते हुए वर्ष 2014-15 से लागू करने का निर्णय लिया गया था।** तदनुसार विद्या-परिषद् कृपया अकादमिक वर्ष 2014-15 से उक्त प्रणाली को लागू करने की अनुमति प्रदान करे।

निर्णयः निम्नांकित संशोधन के साथ नवीन परीक्षा प्रश्नपत्र प्रणाली को वर्ष 2014-15 से लागू करने का अनुमोदन किया गया :

1. **दीर्घउत्तरीय/वर्णनात्मक 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा।**
2. **लघुउत्तरीय 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करने होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा।**
3. **बहुविकल्पीय 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य एवं 2 अंकों का होगा।**
4. **लिखित परीक्षा (Written Assessment) के लिए 75 प्रतिशत अंक तथा आंतरिक परीक्षा (Internal Assessment) के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित किया जाए।**

मद संख्या-14

इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र की गतिविधियाँ एवं भविष्य की योजनाओं का अनुमोदन

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों एवं अकादमिक गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य-परिषद् की दिनांक 06.11.2008 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दिनांक 09.05.2009 को इलाहाबाद में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया। केंद्र हेतु भूखण्ड के आबंटन हेतु 2011 में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की झूंसी योजना-3 में आवेदन किया गया था, जो कि 2012 में प्राप्त हुआ। इस भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

केंद्र द्वारा अपनी स्थापना के आरंभ में, पुस्तकालय, बिक्री केंद्र तथा वर्ष 2009 में क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद में सत्यप्रकाश मिश्र सभागार की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अलावा शहर की विभिन्न संस्थाओं द्वारा अब तक कुल 83

आयोजन संपंन हुए हैं। साथ ही, विश्वविद्यालय की नियमित एवं दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश प्रक्रिया तथा परीक्षा संयोजन संबंधी कार्यो के आयोजन में सहयोग किया जा रहा है।

दिनांक (09.08.2012) को विद्या–परिषद् की अनुमति से क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद में नियमित पाठ्यक्रम के रूप में 'अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में डिप्लोमा' एवं 'उर्दू भाषा में डिप्लोमा' का संचालन किया जा रहा है। 'अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान में डिप्लोमा' में 16 एवं 'उर्दू भाषा में डिप्लोमा' में 13 छात्रों द्वारा प्रवेश लिया गया। इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा अवलोकनार्थ ई–मेल से भेजा गया है।

सत्र 2014–15 के लिए निम्नांकित 4 नियमित पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु मा. कुलपति से प्राप्त स्वीकृति के तहत प्रवेश हेतु विज्ञापन दिया जा चुका है। केंद्र में अभी तक कुल 426 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रवेश समिति की अनुशंसाओं के आधार पर निम्नानुसार सीटें निर्धारित की गई हैं :

एम.फिल. तुलनात्मक साहित्य	05
एम.ए. हिंदी	30
एम.ए समाज कार्य	20
नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	15
अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	15

सूचित किया जाता है कि इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी ने 'नाट्यकला एवं फिल्म अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रो. सुरेश शर्मा, अधिष्ठाता–सृजन विद्यापीठ से आग्रह किया है। उस रूपरेखा पर विशेषज्ञों से विचार–विमर्श करने के उपरांत अंतिम रूप दिया जाएगा। पाठ्यक्रम का स्वरूप रोजगारपरक रखने की योजना है ताकि अधिकाधिक छात्र आकर्षित हों और पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर उन्हें रोजगार प्राप्ति में सहायता मिले।

विद्या–परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ एवं कार्योतर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक : केंद्र की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा ई–मेल से प्रेषित किया गया है।

निर्णयः विद्या–परिषद् को सूचित किया गया कि इलाहाबाद में संचालित पाठ्यक्रम एम.फिल. तुलनात्मक साहित्य को एम.फिल. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) पढ़ा जाए। इलाहाबाद क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी ने विद्या–परिषद् के समक्ष अब तक की प्रगति एवं भावी योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। विद्या–परिषद् द्वारा क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी से अपेक्षा की गई कि वे स्थानीय बौद्धिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें और उनकी उपलब्धता के आधार पर अपने क्षेत्रीय केंद्र की अकादमिक गतिविधियों के विस्तार एवं स्वरूप निर्धारण के लिए इलाहाबाद में ब्रज, अवधि, मगही आदि भाषाओं पर केंद्रित प्रस्ताव एक मेजर प्रोजेक्ट के रूप में, कुलपति को भिजवाएँ। तदनुसार कार्रवाई करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–15

कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र की गतिविधियाँ एवं भविष्य की योजनाओं का अनुमोदन

कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र, 2 मई, 2011 को खुला, जिसकी विधिवत शुरुआत 2ए–2बी मृगेंद्रलाल मित्र रोड, पार्क सर्कस, कोलकाता–17 में पहली जुलाई 2011 को हुई। जब से कोलकाता केंद्र खुला, तब से दूरस्थ शिक्षा की परीक्षाएँ केंद्र में ही होती रही हैं। इस केंद्र में नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई 2013 के शिक्षा सत्र से शुरू हुई। 2013 में वेब पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ हुआ। इसमें कुल 12 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। वह पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा होनी है। सूचित किया गया कि वेब पत्रकारिता के पहले बैच के सभी विद्यार्थियों का प्लेसमेंट हो चुका है।

कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र में जुलाई, 2011 से लेकर अब तक हुई शैक्षणिक कार्यशालाओं और संगोष्ठियों में देशभर के प्रमुख विद्वानों और लेखकों के विशेष व्याख्यान हो चुके हैं। शैक्षणिक कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों इत्यादि गतिविधियों का (वर्षवार) विवरण अवलोकनार्थ ई–मेल से भेजा गया है।

कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र में 2014 के शिक्षा सत्र से चार नियमित पाठ्यक्रम–एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य), एम.फिल. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य), वेब पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारंभ करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक एमए हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) के लिए 44, एम. फिल. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) के लिए 37, वेब पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 16 और अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 17 आवेदन जमा हो चुके हैं।

सत्र 2014–15 के लिए निम्नांकित एम.ए. हिंदी तुलनात्मक साहित्य विषय में नियमित पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु मा. कुलपति से प्राप्त स्वीकृति के तहत प्रवेश हेतु विज्ञापन दिया जा चुका है तथा इसमें प्रवेश समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 30 सीटें निर्धारित की गई हैं।

विद्या–परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ एवं कार्योतर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

अनुलग्नक : केंद्र की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा ई–मेल से प्रेषित किया गया है।

निर्णयः कोलकाता क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी ने विद्या–परिषद् के समक्ष अब तक की प्रगति एवं भावी योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत किया। विद्या–परिषद् ने एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक साहित्य) के पाठ्यक्रम को कोलकाता में आरंभ किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की। कुलपति ने सूचित किया कि विश्वविद्यालय के एम.ए. पाठ्यक्रम के साथ विद्यार्थी को एक भाषा डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं कंप्यूटर पाठ्यक्रम में अध्ययन करना अनिवार्य है। यही व्यवस्था क्षेत्रीय केंद्रों पर भी लागू होगी। निश्चय किया गया कि विकल्प के रूप में पूर्वोत्तर की भाषाओं को भी भाषा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। केंद्र के प्रभारी से अपेक्षा की गई कि वे स्थानीय बौद्धिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें और उनकी उपलब्धता के आधार पर अपने क्षेत्रीय केंद्र की अकादमिक गतिविधियों के विस्तार एवं स्वरूप निर्धारण के लिए मेजर प्रोजेक्ट के रूप में अपने प्रस्ताव, कुलपति को भिजवाएं। तदनुसार कार्रवाई करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–16

गांधी शोध वृत्ति

महात्मा गांधी के मौलिक/दार्शनिक विचारों ने न केवल समाज, बल्कि मानव मात्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया है। विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के मौलिक/दार्शनिक विचारों को अपनी कार्य–शैली में भी आत्मसात करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास के तहत विश्वविद्यालय प्रारंभिक स्तर पर गांधी दर्शन के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लेखन करने वाले लेखकों/चिंतकों को गांधी शोध–वृत्ति दिए जाने की योजना बना रहा है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय लेखकों/चिंतकों को दो लाख रुपए शोधवृत्ति प्रदान करेगा। यह शोधवृत्ति उन लेखकों/चिंतकों को प्रदान की जाएगी, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं।

प्रस्तावित शोधवृत्ति की विस्तृत रूपरेखा बनाने और अध्ययन क्षेत्र/विषय आदि का निर्धारण करने हेतु माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः कुलपति द्वारा सूचित किया गया कि इस योजना को अधिकतम दो वर्ष की अवधि में पूरा करना होगा तथा शोधवृत्ति अधिकतम एकमुश्त दो लाख रुपये दी जाएगी। विद्या–परिषद् ने प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कुलपति को समिति के गठन एवं आगे की कार्रवाई हेतु अधिकृत किया।

मद संख्या–17

युगपुरुषों के चिंतन व विचारधाराओं के प्रश्नपत्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना

महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. राममनोहर लोहिया की विचारधाराएँ आधुनिक भारत के लिए निर्णायक रूप से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों युगपुरुषों के चिंतन को युवा वर्ग सहित समाज के समस्त लोगों तक पहुँचाना विश्वविद्यालय व हम सबका दायित्व है। हमारे विश्वविद्यालय ने महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर की विचारधारा के अध्ययन के लिए अलग–अलग केंद्रों की स्थापना की है, लेकिन विश्वविद्यालय के अन्य विभागों/केंद्रों के विद्यार्थियों तक इनकी विचारधारा पहुँचाने की कोई योजना व्यवहार में नहीं है। परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी महात्मा गांधी और डॉ. आंबेडकर से परिचित हुए बिना ही उपाधियाँ लेकर चले जाते हैं। इस अभाव की पूर्ति के लिए यह उचित होगा कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव आंबेडकर और डॉ. राममनोहर लोहिया की विचारधाराओं पर केंद्रित एक प्रश्नपत्र शामिल किया जाए।

प्रस्तावित प्रश्नपत्र के नामकरण, पाठ्य–बिंदुओं के निर्धारण और पाठ्य–सामग्री के निर्माण हेतु कार्यालयादेश क्रमांकः05/2012/Syllabus/1–1/269 दिनांक–5.5.2014 के माध्यम से प्रो. मनोज कुमार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है तथा प्रो. एल. कारुण्यकरा व डॉ. नृपेंद्र प्रसाद मोदी इसके सदस्य हैं।

समिति का मानना है कि विद्या-परिषद् में पाठ्यक्रम शामिल करने का निर्णय ले लिया जाए। विद्या-परिषद् की स्वीकृति के बाद पाठ्य-बिंदूओं का निर्धारण कर लिया जाएगा। पाठ्य के निर्माण के संबंध में विद्या-परिषद् के निर्णय उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी।

विद्या-परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णयः सूचित किया गया कि कुलपति की पहल पर, प्रश्नपत्र में विवेकानंद और महर्षि अरविंद के विचारों को भी शामिल किया जा रहा है। विद्या-परिषद् ने इसे एक मौलिक प्रस्ताव बताया तथा 'आधुनिक भारतीय चिंतक' नाम से इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया कि विद्यार्थी इसका अध्ययन एम.ए. के चारों सत्रों में से किसी भी सत्र में कर सकता है। पाठ्य बिंदुओं का निर्धारण कर पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में गठित समिति द्वारा कार्रवाई कर अपनी अनुशंसाएँ कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया।

मद संख्या-18

एम.फिल. अध्यादेश एवं पीएच.डी. के संशोधित अध्यादेश का अनुमोदन

विद्या-परिषद् की दिनांक 27.02.2014 को सम्पन्न 20वीं बैठक की मद संख्या-15 में लिए गए निर्णय के आलोक में कार्यालयादेश क्रमांकः003/2003/का.आ./02-38/2014 दिनांक-20.03.2014 के माध्यम से, पूर्व में गठित समिति को ही विश्वविद्यालय के पीएच.डी. तथा एम.फिल अध्यादेशों के संबंध में पुनर्विचार करने का दायित्व कुलपति द्वारा सौंपा गया था।

समिति द्वारा अनुशंसित **एम.फिल. अध्यादेश एवं पीएच.डी. के संशोधित अध्यादेश** की प्रति विद्या-परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक : समिति के पुनर्गठन का कार्यालयादेश (पृष्ठ संख्या-74)
एम.फिल. अध्यादेश - (पृष्ठ संख्या-75 से 89तक)
पीएच.डी. का संशोधित अध्यादेश-(पृष्ठ संख्या : 90 से 105 तक)

निर्णयः एम.फिल के अध्यादेश पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई तथा समयाभाव के मद्देनजर, पी-एच.डी के संशोधित अध्यादेश के संबंध में कुलपति को, विश्वविद्यालय के उन शिक्षकों, जो विद्या-परिषद् के सदस्य हैं, के साथ एक बैठक कर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

मद संख्या-19

एम.फिल. पाठ्यक्रम डेढ़ वर्ष किए जाने तथा इसके निर्माण का अनुमोदन

विश्वविद्यालय में चल रहे एम.फिल. के वर्तमान पाठ्यक्रम को डेढ़ वर्ष किया गया है। इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना है, जो कि दो हिस्सों में सम्पन्न होगा। इसका पहला हिस्सा सबके लिए एकसमान होगा तथा दूसरा हिस्सा विभागों के स्तर पर तैयार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि अकादमिक-सत्र जुलाई 2014 से आरंभ होने के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम निर्माण की तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, इसलिए प्रस्तावित है कि विभागाध्यक्ष इसका प्रारूप तैयार कर अध्ययन मंडल एवं स्कूल बोर्ड में रखेंगे। स्कूल बोर्ड की अनुशंसाओं को कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा एवं अनुमोदन प्राप्त कर इसे इसी अकादमिक वर्ष से लागू किया जाएगा तथा विद्या-परिषद् की अगली बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णयः प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा समिति गठित करने एवं उसकी अनुसंशाओं के आधार पर एम.फिल पाठ्यक्रम को इसी अकादमिक वर्ष से लागू किये जाने हेतु विद्या-परिषद् ने कुलपति को अधिकृत किया तथा 'की गई कार्रवाई' को अगली बैठक में विद्या-परिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु रखने का निर्णय लिया।

मद संख्या-20

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा नियमित एम.फिल. तथा पीएच.डी. आरंभ करने और शोध उपाधि समिति का प्रस्ताव

दूर शिक्षा निदेशालय ने नियमित एम.फिल. तथा पीएच.डी. आरंभ करने तथा इस संबंध में शोध उपाधि समिति गठित करने का प्रस्ताव विद्या-परिषद् की 27.02.2014 को सम्पन्न 20वीं बैठक में मद संख्या-5 के अंतर्गत रखा गया था। उक्त संदर्भ में प्रकरण **अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाने का निर्णय हुआ था।** तदनुसार यह प्रकरण पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः इस प्रस्ताव को वापस लिया गया।

मद संख्या-21

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा सत्र 2014-15 में संचालित पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण

दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सत्र 2014-15 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विवरणिका प्रकाशित की गई है, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

क्र.	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम शुल्क (रूपयों में)	प्रवेश शुल्क (रूपयों में)	नामांकन शुल्क (रूपयों में)	परिचय पत्र (रूपयों में)	परीक्षा शुल्क (रूपयों में)	उपाधि शुल्क (रूपयों में)	कुल (रूपयों में)
01	MSW	12500 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2100	---	15100
		12400 (द्वितीय वर्ष)	200	---	---	2100	250	14950
02	MJMC	7400 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	1400	---	9300
		7300 (द्वितीय वर्ष)	200	---	---	1750	250	9500
03	MLIS	6700	200	200	100	2800	250	10250
04	BLIS	6600	200	200	100	2800	250	10150
05	BJMC	7800	200	200	100	2800	250	11350
06	PGDEM&FP	5700	200	200	100	1750	250	8200
07	PGDJMC	2500	200	200	100	1400	250	4650

08	MBA	15000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2800	—	18300
		14900 (द्वितीय वर्ष)	200	—	—	2800	250	18150
09	BBA	10000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2800	—	13300
		9900 (द्वितीय वर्ष)	200	—	—	2800	—	12900
		9900 (तृतीय वर्ष)	200	—	—	2800	250	13150
10	DBM	11000	200	200	100	2800	250	14550
11	DMM	11000	200	200	100	2800	250	14550

विद्या–परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः कुलसचिव द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान सत्र से ही उपरोक्त उल्लिखित पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा रहा है। विद्या–परिषद् ने शुल्क निर्धारण एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने का अनुमोदन किया।

मद संख्या–22

दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अध्ययन केंद्र खोलने की स्वीकृति

विद्या–परिषद् की 5वीं बैठक में दूर शिक्षा निदेशालय के संचालन हेतु अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश की धारा 4(जी) का उद्धरण इस प्रकार है :

The Centre shall operate from the main campus which is located in Wardha. Apart from the main centre, there shall be 5 (five) Regional Centres and 20 (Twenty) Study centres. Each Regional Centre shall have a Regional Director. The Study Centre shall be located in the capital of the States :

1.	Assam and N.E. States	:	Guwahati
2.	West Bengal	:	Kolkata
3.	Uttar Pradesh	:	Lucknow
4.	Tamilnadu	:	Chennai
5.	Kerala	:	Thiruvananthapuram
6.	Karnataka	:	Bangalore
7.	Madhya Pradesh	:	Bhopal
8.	Himachal Pradesh	:	Shimla
9.	Rajasthan	:	Jaipur
10.	Jharkhand	:	Ranchi
11.	Bihar	:	Patna
12.	Orissa	:	Bhuwaneshwar
13.	Punjab & Haryana	:	Chandigarh
14.	Andhra Pradesh *	:	Hyderabad
15.	Maharashtra	:	Mumbai
16.	Kashmir	:	Jammu
17.	Gujrat	:	Ahmedabad
18.	Delhi	:	Delhi
19.	Chhattisgarh	:	Raipur
20.	Uttaranchal	:	Dehradun

*(*क्र.सं.–14 में आंध्र पदेश को तेलंगाना पढ़ा जाए।)*

उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत खोले गए अध्ययन केंद्रों को बंद करने पर विश्वविद्यालय को अनेक वैधानिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

विश्वविद्यालय के अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों में हिंदी भाषा और साहित्य का संवर्धन और विकास करना तथा उस प्रयोजन के लिए विद्या की सुसंगत शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना भी है। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर दूर शिक्षा निदेशालय को सशक्त बनाया जाना आवश्यक है। अतः दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत अध्ययन केंद्र खोलने संबंधी नियमावली की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति विद्या-परिषद् द्वारा गठित किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा नियमावली का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्या-परिषद् ने अनुमोदित किया। इस नियमावली के अनुसार निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या-23

यूजीसी की नवाचारी योजना के अंतर्गत 'भारतीय एवं पाश्चात्य कला और सौंदर्यशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' पाठ्यक्रम

विद्या-परिषद् की 18वीं बैठक में सूचित किया जा चुका है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक एफ14-30(बी)2012(Inno/ASIST), दिनांकः 23.02.2012 के माध्यम से नवाचारी योजना के अंतर्गत 'भारतीय एवं पाश्चात्य कला और सौंदर्यशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसके लिए स्वीकृत राशि 27 लाख 25 हजार में से 16 लाख 45 हजार की प्रथम किश्त भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई।

उल्लेखनीय है कि साहित्य विद्यापीठ के अंतर्गत इसकी शुरूआत हुई थी तथा श्री शिवप्रिय को डिप्टी-को-आर्डिनेटर के रूप में 179 दिनों के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त पाठ्यक्रम में 12 छात्रों को प्रवेश दिया गया एवं इसकी कक्षाएँ 16.12.2013 से आरंभ हुई जो कि अप्रैल, 2014 तक चलीं। सत्रांत 2014-15 में नए प्रवेश हेतु विज्ञापन दिया जा चुका है।

यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित तथ्यों के अवलोकन एवं विचारोपरांत, सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार, इस परियोजना को सृजन विद्यापीठ के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया है।

सृजन विद्यापीठ के अधिष्ठाता-प्रो. सुरेश शर्मा ने इस पाठ्यक्रम के कुछ बिंदुओं पर सौंदर्यशास्त्र के विद्वानों द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता का उल्लेख किया है। उनके विचार में कुछ प्रायोगिक पक्ष जोड़ देने से छात्रों को रोजगार में मदद मिल सकती है, जिससे इस पाठ्यक्रम की ओर अधिक-से-अधिक छात्र आकर्षित होंगे। विभाग के लिए सौंदर्यशास्त्र में विशेषज्ञता रखने वाले एक शिक्षक की आवश्यकता का उल्लेख भी किया है, जिसके लिए परियोजना में व्यवस्था की गई है।

विद्या–परिषद् के समक्ष की गई कार्रवाई को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने तथा सृजन विद्यापीठ के अधिष्ठाता से प्राप्त प्रस्ताव विचार कर निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः इस संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–24

जैनविद्या शोध प्रतिष्ठान/अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन व शोध केंद्र, चेन्नई को विश्वविद्यालय के शोध प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता।

जैनविद्या शोध प्रतिष्ठान/अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन व शोध केंद्र, चेन्नई से उनको **विश्वविद्यालय के शोध प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता देने** संबंधी नियम, उपनियम, प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पत्र में उद्धृत किया गया है कि उक्त प्रतिष्ठान/केंद्र के पास चेन्नई में अपना परिसर, कार्यालय, पुस्तकालय तथा शोधकार्यों के लिए संसाधन हैं। उनके यहाँ शोधार्थियों में पैदल विहार करने वाले साधु–साध्वी भी हो सकते हैं तथा शोध–प्रबंधों की भाषा भी मुख्यतः हिंदी रहेगी। पादविहारी साधु–साध्वियों द्वारा पी–एच.डी. के दौरान तथा मौखिकी परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय में उपस्थित होना या शोध–निर्देशक के पास बार–बार जाना संभव नहीं होता है, बल्कि कभी शोध–निर्देशक को ही उनके पास जाना पड़ता है।

संज्ञानार्थ प्रस्तुत है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–8 के अनुसार विश्वविद्यालय मुख्यतः एक आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ के सारे पाठ्यक्रम (मुख्यतः शोध) आवासीय हैं जहाँ विद्यार्थियों/शोधार्थियों को आवासीय व्यवस्था में पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रावधान किया गया है।

लेकिन विश्वविद्यालय बहुत सी संस्थाओं से परस्पर अकादमिक समझौते करने की नीति अपना रहा है। विशेषकर उन संस्थाओं से जहाँ शोध की सुविधाएँ हैं और लोग निरंतर उपस्थित नहीं हो सकते किंतु जिनके कार्यों की प्रकृति विशेष है। इस दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

अनुलग्नकः जैनविद्या शोध प्रतिष्ठान/अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन व शोध केंद्र, चेन्नई से प्राप्त पत्र (पृ.सं.112–113)

निर्णयः इस प्रस्ताव को निरस्त किया गया।

मद संख्या–25

कोश इकाई

विश्वविद्यालय की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत वर्धा हिंदी शब्दकोश का निर्माण–कार्य प्रारंभ किया गया था। इस कोश का प्रथम संस्करण प्रकाशित हो चुका है। संसार भर के मानक कोशों में निरंतर संशोधन/परिवर्द्धन चलता रहता है, अतः वर्धा हिंदी शब्दकोश में भी निरंतर संशोधन/परिवर्द्धन की आवश्यकता है। इस हेतु कार्य–परिषद् की 50वीं बैठक (मद

संख्या–10) में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय एक कोश एकक की स्थापना करे, जिसमें वर्धा हिंदी शब्दकोश में निरंतर संशोधन/परिवर्द्धन का कार्य किया जाए तथा अन्य प्रकार के और विभिन्न विषय–क्षेत्रों में कोश–निर्माण की योजना बनाई जाएँ।

निर्णयः प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक कार्यसूची

मद संख्या–26

भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत प्रोद्यौगिकी अध्ययन केंद्र की स्थापना एवं पाठ्यक्रमों को कार्योतर स्वीकृति

भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत कई वर्ष पूर्व प्रोद्यौगिकी अध्ययन केंद्र की स्थापना कर ली गई थी तथा मास्टर इन इंफोमेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग (MILE) के एम.ए. और पीएच. डी. के पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन विद्या–परिषद् से अनुमोदन होना बाकी है। अतः विद्या–परिषद् के समक्ष कार्योतर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई और कुलपति को अध्यादेश निर्माण हेतु समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया।

मद संख्या–27

भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र की स्थापना एवं पाठ्यक्रमों को कार्योतर स्वीकृति

फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और उर्दू के डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन विद्या–परिषद् से अनुमोदन होना बाकी है। अतः विद्या–परिषद् के समक्ष कार्योतर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को इनमें से किसी भी एक भाषा में डिप्लोमा करना अनिवार्य है।

निर्णयः कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई और कुलपति को अध्यादेश निर्माण हेतु समिति गठित करने के लिए अधिकृत किया गया।

मद संख्या–28

लोक प्रशासन विषय में एम.ए./एम.फिल. पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दिनांक 19.06.2014 का पत्रांकः एफ नं.19-16/2014-डैस्क(यू) प्राप्त हुआ है जिसमें सूचित किया गया है कि मंत्रियों के संघ की

16.12.2013 को संपन्न बैठक के पैरा 5.3.6 में यह निर्णय लिया गया था कि देश के समस्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तर पर लोक प्रशासन का एक विषय चलाने का अनुरोध किया जाए। तदनुसार विश्वविद्यालय से कार्रवाई कर अवगत कराने के लिए कहा गया है। पत्र की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा अर्थात् स्नातकोत्तर एवं शोध के स्तर पर कार्य कर रहा है अतः विश्वविद्यालय के मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत लोक प्रशासन विषय में एम.ए./एम.फिल. पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

निर्णयः राजनीति विज्ञान के विभाग को आरंभ किया जाए, जिसमें लोक प्रशासन भी सम्मिलित होगा।

मद संख्या–29

विषय विशेषज्ञों का चयन

विश्वविद्यालय के अधिनियम के परिनियम–19(2) के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक पदों पर चयन हेतु, चयन समिति के लिए विषय विशेषज्ञों के नाम विद्या–परिषद् द्वारा अनुशंसित पैनल में से कार्य–परिषद् द्वारा नामित किए जाएँगे।

तदनुसार विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं से अनुरोध किया गया था कि वे अपने–अपने विद्यापीठों के अंतर्गत आने वाले विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ विचार–विमर्श कर अध्यापन–अनुशासन एवं अकादमिक क्षेत्र से जुड़े 10–10 विषय–विशेषज्ञों (कम–से–कम प्रोफेसर स्तर) के नाम सुझाएं। तदनुसार प्राप्त सूची विद्या–परिषद् के निर्णयार्थ प्रस्तुत की जा रही है।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई और कुलपति को प्रस्तावित सूची में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए अधिकृत किया गया।

मद संख्या–30

पीएच.डी. नोटिफिकेशन एवं अनंतिम प्रमाणपत्र

पीएच.डी. परीक्षा के परिणाम का नोटिफिकेशन व सफल परीक्षार्थी के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निम्नांकित व्यवस्था प्रस्तावित है :

मौखिक परीक्षा संपन्न होने के बाद संबंधित विभागाध्यक्ष संस्तुति परीक्षा विभाग को भेजेंगे और यदि वह सकारात्मक पाई जाती है तो परीक्षा विभाग सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर नोटिफिकेशन तथा अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करेगा। नोटिफिकेशन महीने में द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह

में जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन की तिथि को परीक्षा की उत्तीर्णता की तिथि माना जाएगा।

प्रस्ताव प्रमाणपत्र के प्रारूप सहित अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः प्रमाणपत्र एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–31

बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सुझाव

प्रो. अरुण कमल ने सुझाव दिया कि शेक्सपियर सहित कई ऐसे विदेशी लेखक हैं, जिनके नाटकों पर पूरा काम हिंदी में उपलब्ध नहीं है, इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन भी विश्वविद्यलाय में जरूरी है। भारत सहित विश्व साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अन्य देशों में हिंदी अध्यापन कर रहे प्राध्यापकों को आमंत्रित करके अध्यापन करवाया जा सकता है। इसी के साथ, उनका मत यह भी था कि समकालीन हिंदी कवियों को समय–समय पर आमंत्रित किया जाना चाहिए और समकालीन साहित्य पर शोध गतिविधियाँ संपन्न होनी चाहिए।

कुलपति महोदय ने विश्व साहित्य के चुने हुए अंशों तथा हिंदी के समकालीन कवियों के संबंध में सुझाई गई योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए प्रो. अरुण कमल से आग्रह किया।

प्रो. रंजना अरगड़े का सुझाव था कि विश्वविद्यालय में कुछ कार्यक्रम हिंदी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान पर केंद्रित करके आयोजित किए जाएँ, तो इससे अन्य देशों के विद्यार्थियों की रुचि हिंदी और भारत दोनों में बढ़ेगी।

प्रो. अन्नपूर्णा चर्ले ने सुझाव दिया कि यदि दक्षिण भारत की भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिले तो, अनेक विद्यार्थी आकर्षित होंगे। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन तथा अनुवाद को जोड़कर शोध कार्यक्रम चलाने का सुझाव भी दिया।

विषय समाप्ति के उपरांत, अंत में, पदेन सचिव द्वारा सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया गया एवं मा. अध्यक्ष की अनुमति से बैठक संपन्न होने की घोषणा की गई।

देवराज

(देवराज)
कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद्
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा